५

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022 / 423
दायरा तिथि : 20.12.2022
आदेश तिथि : 20-03-2024
प्रार्थीगण :–

1. ओ.पी. विश्नोई पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी पावटा सी रोड, जोधपुर
2. पप्पूराम पुत्र गोपालराम जाति विश्नोई निवासी शिकारगढ, जोधपुर
3. परसराम पुत्र रामसिंह जाति विश्नोई निवासी रेल्वे स्टे. रोड, बिलाडा, जिला जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. आनन्द कंवर पत्नि मोतीसिंह जाति राजपूत(फौत होने से डिलीटेड दि. 16.01.2024)
2. उगमसिंह पुत्र मोतीसिंह
3. कालुसिंह पुत्र मोतीसिंह
4. नेनसिंह पुत्र मोतीसिंह
5. रतनसिंह पुत्र मोतीसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण कोठार तहसील बाली जिला पाली
6. प्रतापसिंह पुत्र थानसिंह
7. विलास कंवर पत्नि जोरसिंह जाति राजपूत निवासीगण कोठार
8. नरपतसिंह पुत्र श्यामसिंह
9. राजकुंवर पत्नि श्यामसिंह
10. लालसिंह पुत्र श्यामसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण कोठार तहसील बाली जिला पाली
11. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली
12. जोरसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 20-03-2024

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 144 रकबा 0.4700 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 145, 134, 133 रकबा क्रमशः 1.3500, 0.3800, 0.8200 हैक्टर में से तथा राजकीय रिवायचक भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 883 / 130, 141, 144 / 868 रकबा क्रमशः 1.0430, 2.1600, 2.4000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में पीला रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध निजी खातेदारान / अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक / राजस्व / 2023 / 4027 दिनांक 14.02.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 144 रकबा 0.4700 हैक्टर की भूमि प्रार्थी ओ.पी. विश्नोई पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी पावटा सी रोड, जोधपुर, पप्पूराम पुत्र गोपालराम जाति विश्नोई निवासी शिकारगढ, जोधपुर, परसराम पुत्र रामसिंह जाति विश्नोई निवासी रेल्वे स्टे. रोड, बिलाडा, जिला जोधपुर के नाम से सयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रेकॅर्ड में दर्ज है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते का उपयोग आवागमन के लिए करते आ रहे है।
2. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार 02...

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/423
अनवान ओ.पी. बिश्नोई वगैरा बनाम आनंद कंवर वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र. स	ग्राम	खसरा न.	रकबा है.	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	कोठार	883/130	1.0430 हैक्टर	बारानी सोयम	120×9=1080 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	कोठार	133	0.8200 हैक्टर	बारानी सोयम	126×9=1134 वर्गमीटर	1. आनन्द कंवर पत्नि मोतीसिंह राजपूत 2. उगमसिंह पु मोतीसिंह राजपूत 3. कालुसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत 4. नेनसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत 5. रतनसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत
	कोठार	134	0.3800 हैक्टर	बारानी सोयम	120×9=1080 वर्गमीटर	
3	कोठार	141	2.1600 हैक्टर	बारानी सोयम	132×9=1188 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
4	कोठार	145	1.3500 हैक्टर	बारानी सोयम	60×9=540 वर्गमीटर	1. अर्जुनसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत 2. ओ.पी.बिश्नोई पुत्र स्व. भवरलाल विश्नोई 3. जगतसिंह पुत्र श्यामसिंह राजपूत 4. नरपतसिह पुत्र श्यामसिंह राजपूत 5. पपूराम पुत्र गोपालराम विश्नोई 6. परसराम विश्नोई पुत्र रामसिंह विश्नोई 7. राजकुवर पत्नि श्यामसिंह राजपूत 8. लालसिंह पुत्र श्यामसिंह राजपूत
5	कोठार	144/868	2.0000 हैक्टर	बारानी सोयम	192×9=1728वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठार डी.एल.सी. दर 52920/– प्रति हैक्टर है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है। एवं न ही वृक्ष इत्यादी की क्षति है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण को जारी नोटिस में से दिनांक 17.01.2023 को अप्रार्थी सं 2, 3, 4, 5 के नोटिस तामिलशुदा तथा अप्रार्थी सं 1 का नोटिस फौत की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ। अप्रार्थी सं. 6 से 10 के नोटिस बम्बई निवास की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए। प्रकरण में तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थी सं. 3 की ओर से वकील श्री भरज जे. राठौड के द्वारा जवाब व आपत्ति पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। तथा अप्रार्थी सं 7 की ओर से वकील श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान के द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी स. 6, 8, 9, 10 के नोटिस अप्रार्थी सं. 7 को जबरदस्ती तामील बता कर पेश किये है जबकि उक्त अप्रार्थीगण अलग-अलग प्रदेशों में निवास करते है अतः उनकी पुनः तलबी जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण के चलते अर्जुनसिंह, जगतसिंह पिसरान श्यामसिंह द्वारा अपनी भूमि का बेचान विलास कुंवर, प्रतापसिंह व जोरसिंह को कर देने से वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.10.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश कर खरीदकर्ताओ को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। जिस प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए अर्जुनसिंह, जगतसिंह पिसरान श्यामसिह को प्रार्थना पत्र शीर्षक से डिलीट करते हुए खरीदकर्ता को बतौर अप्रार्थी सं. 6, 7, 12 प्रार्थना पत्र शीर्षक पर लिये जाने से वकील प्रार्थी द्वारा इस आशय का संशोधित शीर्षक दिनांक 18.10.2023 को पेश किया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार 03...

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/423
अनवान ओ.पी. विश्नोई वगैरा बनाम आनंद कंवर वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

नवसृजित पक्षकार अप्रार्थी सं 6 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान ने वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण में वर्णित अप्रार्थी सं 2, 4, 5 बावजूद नोटिस तामिल के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने तथा अप्रार्थी सं 7 दिनांक 23.10.2023 को नोटिस तामिल के बावजूद नियत पेशीयों पर न्यायालय मे अनुपस्थित रहने से आदेशिका दिनांक 16.01.2024 से अप्रार्थी सं. 2, 4, 5, व 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं 8, 9, 10 के नोटिस नियम 5(20) के तहत अखबार में छाया के बावजूद वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से दिनांक 16.01.2024 को इन अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। तथा साथ ही मृत अप्रार्थी सं. 1 के का.मु. बतौर अप्रार्थी सं. 2 से 5 प्रार्थना पत्र शीर्षक पर मौजूद होने से प्रार्थना पत्र शीर्षक से डिलीट किया गया। अप्रार्थी सं. 6 व 12 के अधिवक्ता को वकालतनामा प्रस्तुती के लिये पर्याप्त अवसर देने के बावजूद कोई आपत्ति नही करने तथा तहसीलदार बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुए समय होने से आदेशिका दिनांक 16.01.2024 से अप्रार्थी सं. 6, 12 के जवाब/आपत्ति का समय अवसर बंद करते हुए पत्रावली को बहस के लिए रखा गया। प्रकरण बहस के लिए लंबित रहते हुए दिनांक 15.02.2024 को अप्रार्थी सं. 06 के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान के द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका जवाब प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.03.2024 को पेश किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा अप्रार्थी सं 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश होने तथा अप्रार्थी सं. 12 का जवाब बंद हो जाने से अप्रार्थी सं. 3 व 6 के अधिवक्तागणों के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्रो व धारा 251ए पर वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 3 व 6 के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी श्री संतोष शर्मा ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि प्रार्थीगण ने अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 144 में आवागमन के लिए कोई रेकॅर्डेड मार्ग/रास्ता नहीं होने से निजी खातेदारान की भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 145, 134, 133 में से तथा राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 883/130, 141, 144/868 में से धारा 251ए आरटीए के तहत नया रास्ता चाहा है। जिस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बाली व भू-अभिलेख निरीक्षक नाना ने रेकर्ड व मौका स्थिति की जाच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। अप्रार्थी स. 3 व अप्रार्थी सं. 6 के अधिवक्तागणों द्वारा निरर्थक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किये है, जिन आपत्तियों को खारिज कर प्रार्थीगण को तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित ट्रैक से धारा 251ए के प्रावधानों अनुसार नया मार्ग उपलब्ध कराया जावें। इसके विपरित अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड द्वारा बहस में आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थीगण खसरा नंबर 883/130, 881/130, 881/129, 135,141, 140/877, 145, 142 व खसरा नंबर 144/868 की भूमि में से अपनी भूमि में आसानी से आ-जा सकता है परन्तु फिर भी प्रार्थीगण ने न्यायालय को गुमराह करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया। तथा साथ ही प्रकरण में उल्लेखित खसरा नंबर के सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है, जिससे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। इसी प्रकार अप्रार्थी स. 6 के अधिवक्ता श्री प्रदीपसिंह करणोत द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहाराते हुए दलील दी गई कि प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 145 का विभाजन हुए बिना खसरा नंबर 145 में से रास्ता चाहा है, तथा खसरा नंबर 145 के सभी सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया है। तथा अप्रार्थी स. 8, 9, 10 के नोटिस अखबार में छाया नही होने से प्रार्थना पत्र पक्षकारों के कुसंयोजन की वजह से चलने योग्य नही होने की वजह से खारिज किये जाने की दलील दी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री संतोष शर्मा ने दोनो पक्षों की आपत्तियों का खण्डन करते हुए पुनः दलील दी गई कि प्रकरण में तहसीलदार बाली से रेकॅर्ड व मौका स्थिति की जांच के बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तथा उक्त प्रकरण समरी प्रोसिडीग का है, जिसको 90 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना नियमों मे प्रावधित है। तहसीलदार बाली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की धारित भूमि कोठार के खसरा नं 144 तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित मार्ग व प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित मार्ग के अलावा कोई अन्य विकल्प नही है। अतः प्रस्तुत निराधार आपत्तियों को खारिज कर धारा 251ए आरटीए के प्रावधानों अनुसार प्रार्थीगण की भूमि तक जाने के लिए पहुंच मार्ग का कोई विकल्प नही होने से प्रार्थीगण को नया मार्ग उपलब्ध कराया जाने के आदेश जारी किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण मे यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 144 में आवागमन के लिए कोई रेकर्डेड रास्ता वर्तमान में नहीं है। तथा आवेदित मार्ग में पडने वाले खसरा नंबर 145 में भी प्रार्थीगण सहखातेदार है जिससे प्रार्थना पत्र शीर्षक पर मौजुद अप्रार्थी सं 6 जो की भूमि खरीद के बाद सहखातेदार बना है, उसके द्वारा निराधार

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार 04..

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/423
अनवान ओ.पी. विश्नोई वगैरा बनाम आनंद कंवर वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

आपतियां पेश की गई है। इसी प्रकार खसरा नंबर 133 व 134 के सहखातेदार अप्रार्थी सं. 3 द्वारा भी निराधार आपतियां पेश कर वैकल्पिक रूट बताया है परन्तु आपति प्रार्थना पत्र के साथ वैकल्पिक मार्ग का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य बिन्दु है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यातिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार बाली की रिपोर्ट में वर्णित मार्ग के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा साथ ही प्रस्तावित मार्ग न्यूनतम दूरी का है, जिससे अप्रार्थी स. 3 व 6 द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया निराधार होने से खारिज की जाती है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण मे प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 144 रकबा 0.4700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 145, 134, 133 रकबा क्रमशः 1.3500, 0.3800, 0.8200 हैक्टर में से 2754 वर्गमीटर तथा राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 883/130, 141, 144/868 रकबा क्रमशः 1. 0430, 2.1600, 2.4000 हैक्टर में से 3996 वर्गमीटर कुल रकबा **2754+3996=6750** वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत निजी खातेदारान व राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 52920/– रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
883/130	1.0430 हैक्टर	120×9= 1080 वर्गमीटर	5.3	5724X2= 11448	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
133	0.8200 हैक्टर	126×9= 1134 वर्गमीटर	5.3	6010X2= 12020	1. आनन्द कवर पत्नि मोतीसिंह राजपूत 2. उगमसिंह पु. मोतीसिंह राजपूत 3. कालुसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत 4. नेनसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत 5. रतनसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत **(वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज हिस्सा अनुसार)**
134	0.3800 हैक्टर	120×9= 1080 वर्गमीटर	5.3	5724X2= 11448	
141	2.1600 हैक्टर	132×9= 1188 वर्गमीटर	5.3	6296X2= 12592	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
	1.3500 हैक्टर	60×9= 540 वर्गमीटर	5.3	2862X2= 5724	1. ओ.पी.विश्नोई पुत्र स्व. भवरलाल विश्नोई 2. जोरसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत 3. नरपतसिंह पुत्र श्यामसिंह राजपूत 4. पपूराम पुत्र गोपालराम विश्नोई 5. प्रतापसिंह पुत्र थानसिंह राजपूत 6. परसराम विश्नोई पुत्र रामसिंह विश्नोई 7. राजकुवर पत्नि श्यामसिंह राजपूत 8. लालसिंह पुत्र श्यामसिंह राजपूत 9. विलास कुंवर पत्नी जोरसिंह (वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार)
144/868	2.0000 हैक्टर	192×9= 1728 वर्गमीटर	5.3	9158X2=18316	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक ...
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार 05.....

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/423
अनवान ओ.पी. विश्नोई वगैरा बनाम आनंद कंवर वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 71548/- (**अक्षरे इकहत्तर हजार पांच सौ अडतालीस रूपये मात्र**) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर (गैरआईं) पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 20-03-2024

क्र./रीडर/कोर्ट/2024/368-372
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक ओ.पी. विश्नोई पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी पावटा सी रोड, जोधपुर वगैरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 27/01/2023 05:52:01 PM

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : नाना

हल्का : कोठार

ग्राम : कोठार

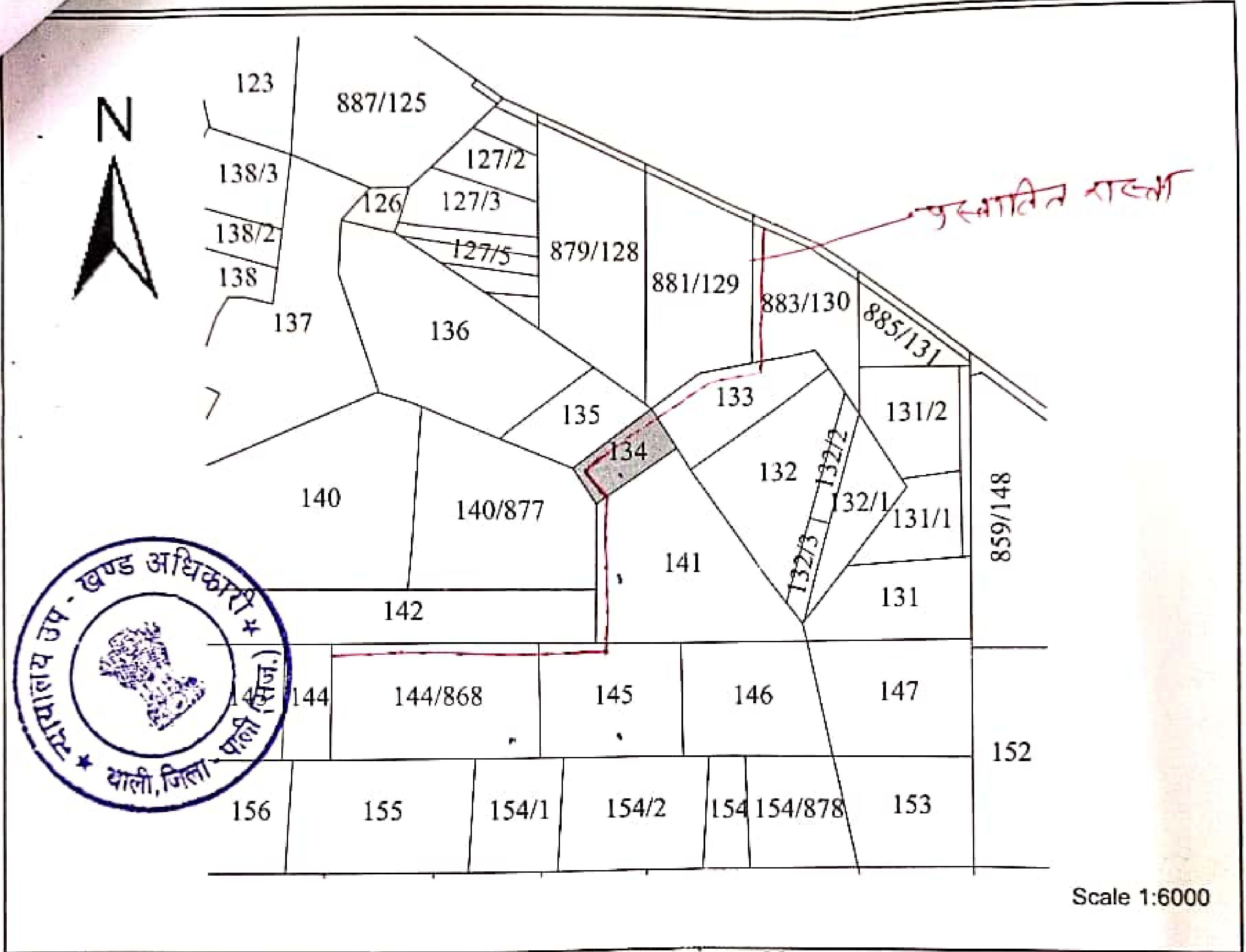

Scale 1:6000

खसरा संख्या :134 क्षेत्रफल : 0.3800 Hectare खाता संख्या : 26पुराना खाता संख्या :26

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी सोयम [0.3800, 1.52]

3.) कालूसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

4.) नेनसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

5.) रतनसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

1.) आनन्दकंवर पत्नि मोतीसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

2.) उम्मसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

Ex-Court

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बाली

तहसीलदार,बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट: १.यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Scanned by CamScanner